


भा०कृ०अ०प०—केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोक (राजस्थान)— 304 501

फा०सं० प्रशा०द्वितीय/आयकर/2019-20/ ८८०

दिनांक: 24-11-2020

परिपत्र

मुख्य संस्थान, अविकानगर व तीनों उपकेन्द्रो के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये आयकर गणना कर आयकर की सही कटौती की जानी है। अतः अधिकारी/कर्मचारी जो उक्त वित्त वर्ष के लिये आयकर गणना हेतु पुराना विकल्प लेना चाहते हैं, वे आयकर में छूट से सम्बन्धित कटौतियों (वेतन के अतिरिक्त) के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे—ए.ल.आई.सी., पी.पी.एफ., पी.ए.ल. आई., होमलोन इत्यादि की प्रतिलिपि दिनांक 11.12.2020 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आयकर गणना से संबंधित विकल्प जैसे नया विकल्प या पुराना विकल्प अवश्य उल्लेख कर भिजवाए साथ ही वेतन के अतिरिक्त होने वाली आय को भी उल्लेखित कर भिजवाने का श्रम करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विकल्प का उल्लेख कर नहीं भिजवाया जाता है तो उनके आयकर की गणना पुराने विकल्प के अनुसार की जायेगी जिसके बे स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(एम०ए० खान)

आहरण एवं सवितरण अधिकारी

वितरण : 1. संस्थान एवं उपकेन्द्रो के सभी अधिकारी/कर्मचारी (द्वारा इमेल)